एक कार्टून ने शिव सेना और भाजपा के राष्ट्रवाद को नंगा कर दिया

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

मुंबई में सत्तारूढ़ शिव सेना के गुंडों ने एक पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा को घर से बाहर लाकर बुरी तरह पीटा। सम्बंधित पुलिस थाने से उन गुंडों को गिरफ़्तारी के बाद तुरंत ज़मानत पर छोड़ भी दिया गया। शर्मा को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का एक कार्टून सोशल मीडिया पर फ़ॉर्वर्ड करने के लिये यह सजा दी गयी।

विडियो में साफ़ दिख रहा है कि शर्मा को पीटने वाले पाँच से अधिक व्यक्ति थे। पुलिस ने भी छह शिवसैनिक गिरफ़्तार किए। यानी यह सामान्य मारपीट का नहीं बलवा करने का एक संगीन मामला बनता है जो ग़ैर-ज़मानती अपराध है और जिसमें अदालत से ही अपराधियों को ज़मानत मिल सकती थी।

स्पष्ट है कि मुंबई पुलिस ने अपराध की गम्भीरता को जान-बूझकर नज़रअन्दाज़ करते हुए इस घोर गुण्डागर्दी को एक सामान्य मारपीट के रूप में दर्ज किया होगा ताकि अपराधियों को तुरंत ज़मानत दी जा सके। कहा जाना चाहिये कि पुलिस कमिश्नर मुंबई ने राजनीतिक आकाओं के दबाव में गुंडों का साथ दिया है। क्या इस तरह की मिलीभगत वाली पुलिसिंग से मुंबई निवासी स्वयं को बेहद असुरक्षित महसूस नहीं कर रहे होंगे?

यूँ तो पुलिस और दूसरी जाँच एजेंसियों की मार्फ़त सरकारी गुंडागर्दी का चलन पुराना चल रहा है। लेकिन अमित शाह के केंद्रीय गृह मंत्री का पद सम्भालने और योगी आदित्यनाथ के यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद यह प्रवृत्ति पूरी तरह बेलगाम हो गयी दिखती है। मुंबई में भी शिव सेना अपनी दशकों की सहयोगी भाजपा के साथ इसी रास्ते पर चलती आयी है; आज उसी तरह का एक और प्रदर्शन देखने को मिला है।

फिलहाल, सत्ता में शिव सेना के भागीदार कांग्रेस और एनसीपी इस मामले में चुप्पी बनाए हुए हैं। लानत है मुंबई पुलिस पर और उसके राजनीतिक आकाओं पर भी!

व्यंग्य कबीरदास संकट में !

कविता कृष्णपल्लवी

अभी-अभी यह ख़बर सत्ता के गलियारों से छनकर बाहर आयी है कि कबीरदास के खिलाफ़ केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से तथा लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से दो 'कारण बताओ' नोटिस जारी हुए हैं !

दोनों नोटिस कबीरदास के एक ही पद को लेकर हैं ! लखनऊ से जारी नोटिस में कबीरदास से इस बात की सफाई माँगी गई है कि उन्होंने अपने एक पद की पहली पंक्ति के द्वारा उ.प्र. के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ की अवमानना की है, अत: उनके ख़िलाफ़ क्यों न उ.प्र. के मुख्यमंत्री की मानहानि करने, अराजकता फैलाने और राजद्रोह की धाराओं में मुक़दमा दर्ज किया जाए ! वह विवादास्पद पंक्ति है -- 'मन न रँगाए, रँगाए जोगी कपरा!'

राज्य के मुख्य अधिवक्ता का कहना है कि यह प्रथमदृष्टया योगी आदित्यनाथ के अपमान का और जनता में उनके प्रति अविश्वास पैदा करके अराजकता फैलाने का मामला लगता है क्योंकि इसमें माननीय योगीजी को सीधे-सीधे ढोंगी कहा गया है ! मुख्यमंत्री कार्यालय से यह जानकारी मिली कि 'कारण बताओ नोटिस' की एक-एक प्रति कबीरचौरा, वाराणसी और मगहर के पते पर एक सप्ताह पहले ही भेज दी गयी थी ! अगर दस दिनों के भीतर कबीरदास का उत्तर नहीं मिल जाता तो उनके लिए 'लुकआउट नोटिस' भी जारी कर दी जायेगी और उन्हें ढूँढ़कर हिरासत में लेने के लिए नवगठित एस.एस.एफ. की एक-एक बटालियन वाराणसी और मगहर रवाना कर दी जायेंगी !

केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस में उसी पद की एक दूसरी पंक्ति के बारे में कबीरदास से स्पष्टीकरण माँगा गया है। वह पंक्ति है 'दढ़िया बढ़ाय जोगी बन गइलें बकरा ' नोटिस में कबीरदास से पूछा गया है कि क्यों न माना जाये कि यह पंक्ति लिखकर उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री की बढ़ती हुई दाढ़ी पर तंज किया है और बकरा कहकर उनकी मानहानि की है !

अब केंद्र और राज्य -- दोनों ही सरकारों को कबीरदास के जवाब की प्रतीक्षा है, लेकिन अभी तो उनका कुछ अता-पता ही नहीं है देखिये क्या होता है !

शरीफ़ इंसान

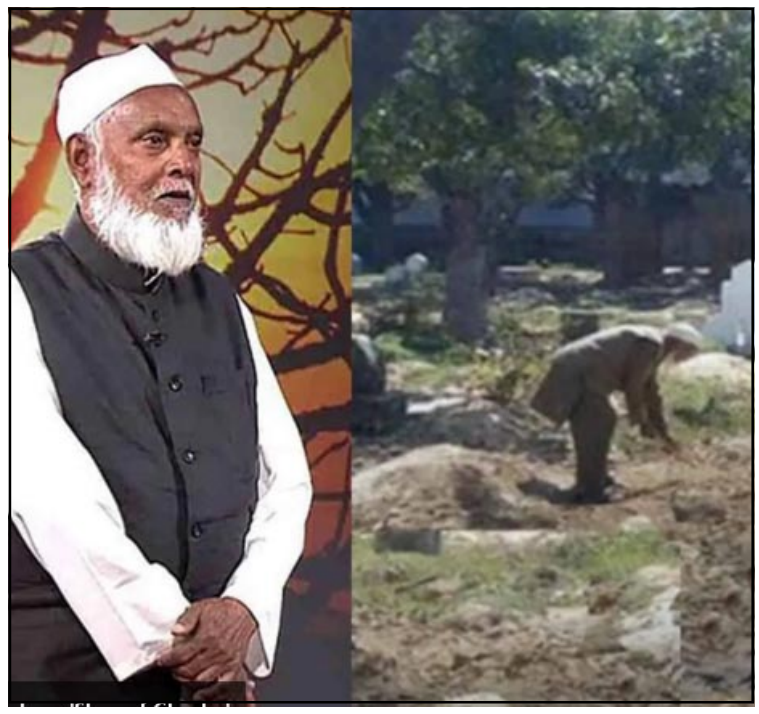

इंसानियत को कुचलने के लिए भीड़ की जरूरत है। इंसानियत को बचाने के लिए आपको अकेले चलना होता है। भीड़ आपको अकेला छोड़ देती है। अकेले पड़ने के बाद आप जो करते हैं, उसी से आपकी शख्सियत तय होती है।

फरवरी, 1992. अयोध्या का मोहल्ला खिड़की अली बेग। यहां रहने वाले मोहम्मद शरीफ का बेटा रईस सुल्तानपुर गया था। वह दवाएं बेचने का काम करता था. रईस गया तो लेकिन वापस नहीं लौटा। शरीफ़ चचा अपने बेटे को एक महीने तक ढूंढते रहे। एक दिन पुलिस ने उन्हें उनके बेटे के कपड़े लौटाए। साथ में यह खबर भी दी कि उनका बेटा मारा जा चुका है। उसकी लाश सड़ गई थी, जिसका निपटान कर दिया गया है।

शरीफ चचा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके मन में टीस रह गई कि वे अपने बेटे का ढंग से अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। यह सोच कर उन का दुख और बढ़ गया कि जिस बेटे का बाप जिंदा है, उसकी लाश लावारिस पड़ी रहे और मिट्टी न नसीब हो!

एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ पुलिस वाले नदी में एक लाश फेंक रहे हैं। शरीफ चचा को बेटे की याद आई। इसी तरह उन्होंने मेरे बेटे की लाश भी नदी में फेंक दी होगी। इसी रोज शरीफ चचा ने प्रण किया कि आज से मैं किसी लाश को लावारिश नहीं होने दूंगा। मेरे बेटे को मिट्टी नसीब नहीं हुई, पर मैं किसी और के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा।

यहां से जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने मानवता की बेहद खूबसूरत कहानी लिखी। शरीफ तबसे चुपचाप तमाम हिंदुओं और मुसलमानों को कंधा दे रहे हैं।

शरीफ चचा पेशे से साइकिल मैकेनिक थे, लेकिन वे इंसानियत और मुहब्बत के मैकेनिक बन बैठे. उस दिन से अस्पतालों में, सड़कों पर, थाने में, मेले में... जहां कहीं कोई लावारिस लाश पाई जाती, शरीफ चचा के हवाले कर दी जाती है। वे उसे अपने कंधे पर उठाते हैं, नहलाते धुलाते हैं और बाइज्जत उसे धरती मां के हवाले कर देते हैं। मरने वाला हिंदू है तो हिंदू रीति से, मरने वाला मुस्लिम है तो मुस्लिम रीति से।

शरीफ चचा पिछले 28 सालों से लावारिसों मुर्दों के मसीहा बने हुए हैं और अब तक करीब 25000 लाशों को सुपुर्द-ए-खाक कर चुके हैं। शरीफ चचा ने कभी किसी लावारिस के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने जितने लोगों का अंतिम संस्कार किया, उनमें हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। उन्होंने हमेशा सुनिश्चित किया कि मरने वाले को उसके धर्म और परंपरा के मुताबिक पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाए।

शरीफ चचा का कहना है कि दुनिया में न कोई हिंदू होता है, न कोई मुसलमान होता है, इंसान बस इंसान होता है। वे कहते हैं कि हर मनुष्य का खून एक जैसा होता है, मैं मनुष्यों के बीच खून के इस रिश्ते में आस्था रखता हूं। इसी वजह से मैं जब तक जिंदा हूं। किसी भी इंसान के शरीर को कुत्तों के लिए या अस्पताल में सड़ने नहीं दूंगा।

शरीफ चचा भी बरसों से अकेले ही चले जा रहे हैं। उनके आसपास के लोगों ने उनसे दूरी बना ली, लोग उनके पास आने से घबराने लगे। लोग उन्हें छूने से बचने लगे, लोगों ने करीब-करीब उनका बहिष्कार कर दिया। परिवार ने कहा तुम पागल हो गए हो। शरीफ चचा ने हार नहीं मानी।

इस साल भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा है। ऐसे समय में आपको शरीफ चचा के बारे में जानने और वैसी इंसानियत को अपने अंदर उतारने की जरूरत है। जब नफरत की राजनीति अपने उरूज पर है, शरीफ चचा लावारिस हिंदुओं और मुसलमानों को समान भाव कंधा दे रहे हैं।

- कृष्णकांत

दिलचस्प मनु और महिलाएँ

प्रभात वसन्त

अभी पाँच -छ: दिन पहले एक मंदिर के पास से गुजर रहा था। मानवधर्मशास्त्र के ऊपर भाषण हो रहा था । वक्ता बोले कि मनुस्मृति को न मानना अपने पिता को न मानने के जैसा है । उनका मानना था कि मनुस्मृति में आदर्श परिवार, आदर्श नारी और आदर्श समाज तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं । अगर हम उन्हें मान लें तो हमारे देश की सारी समस्यायों का समाधान हो जाएगा । चूंकि बड़ी संख्या में लोग यह मानते हैं कि इस किताब में समाज की समस्यायों का निदान है इसलिए हमें इनके बारे में जानना चाहिए। मानवधर्मशास्त्र में जाति व्यवस्था, परिवार के ढाँचे और स्त्रियों की स्थिति को लेकर काफी चर्चा की गयी है । इनकी समझ बनाना इसलिए जरूरी है कि आज के हिन्दुस्तान में धर्म और जाति काफी हद तक राजनीति के व्याकरण को निर्धारित करते हैं । हमारे देश में ज्यादातर शादियां जाति और परिवार के उन्हीं मानकों के आधार पर होती हैं जो मनु ने निश्चित किये थे । परिवार के भीतर पुरुष स्त्री संबंध कैसे हों, कौन बड़ा है, किसके कब्जे में संपत्ति हो , किसे समय समय पर पीटना चाहिए - इन सारे मुद्दों पर मनु निर्देश देते हैं। ये निर्देश आज भी हमारे समाज में पैठ बनाये हुए हैं । महिलाओं को ले कर मनु के निर्देश चर्चा के विषय रहे हैं ।

कुछ विद्वान यह बताते हैं कि मनु ने स्त्रियों को काफी ऊँचा स्थान दिया था । मनु का एक प्रसिद्ध श्लोक है जिसमे कहा गया है कि जहाँ नारियों की पूजा होती हैं वहां देवता वास करते ।

लेकिन अगर हम इस पुस्तक में नारियों के बारे में लिखे सभी श्लोकों का अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि मनु स्त्रियों को हेय भाव से देखते थे । उदाहरण के लिए मनु का प्रसिद्ध श्लोक कहता है

"समय - कुसमय मे, इस लोक में या परलोक में, जिस व्यक्ति ने रीति रिवाज के साथ शादी की है वह हमेशा अच्छा होता है। पति में अगर कोई भी अच्छाई ना हो, वह भले ही व्यभिचारी हो , वह बिलकुल नालायक ही क्यों न हो, अच्छी स्त्री को पति को एक देवता समझ कर पूजना चाहिए।"

एक अन्य श्लोक में मनु कहते हैं

"व्यभिचारी वृत्ति, अस्थिरता , संग दिली स्त्रियों के अंदर कूट कूट कर भरी होती है। उनपर कड़ी नजर रखने पर भी वे पति के खिलाफ हो जाती हैं ।"

शायद यही कारण है कि एक प्रसिद्ध श्लोक में वे कहते हैं "नारी को बचपन में पिता की निगरानी , शादी के बाद पति की निगरानी में और पति के मर जाने पर पुत्र की निगरानी में रखा जाना चाहिए । किसी भी हालत में नारी को स्वतंत्र नहीं होने देना चाहिए।" महिलाओं को स्वतंत्र रूप से कोई भी धार्मिक कार्य करने का अधिकार नहीं था। वेदों से तो उन्हें दूर ही रखा जाता था। जरूरत पड़ने पर उनकी पिटाई का भी प्रावधान है। स्त्रियों के लिए ऐसे कानून बनाने के पीछे एक पितृसत्तात्मक जाति व्यवस्था की अवधारणाएं काम कर रही थीं । जाति व्यवस्था इस मान्यता पर आधारित थी कि संतति पिता की आध्यात्मिक और सांसारिक उत्तराधिकारी होती है। संतति का पिता निश्चित करने का सबसे कारगर उपाय था महिलाओं के ऊपर कड़ी निगरानी। शादी ब्याह के ऊपर उनका कोई अख्तियार नहीं। शादी एक ही जाति के दो परिवारों के पुरुषों द्वारा ही निश्चित की जा सकती है। अब यदि मंदिरों में मनु निर्मित आदर्श समाज को फिर से लाने की बात की जा रही है तो आप समझ सकते हैं वह कैसा समाज होगा। निश्चित रूप से उसमे निम्न जातियों और महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं।

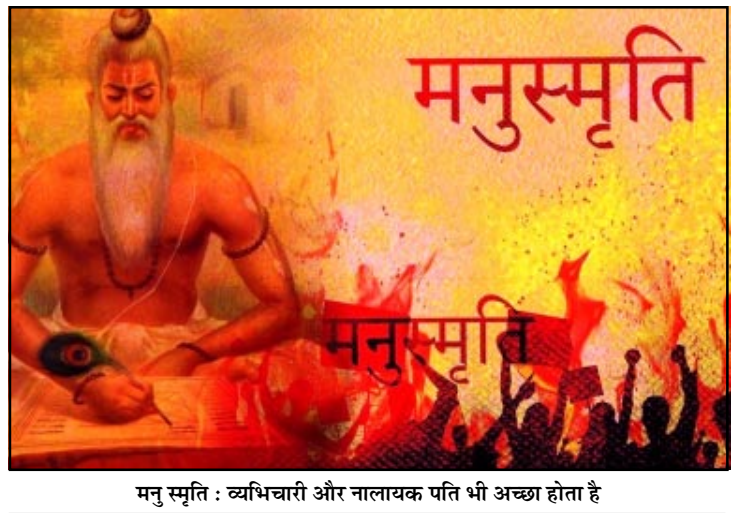

मनु स्मृति : व्यभिचारी और नालायक पति भी अच्छा होता है

(जामिया मिलिया में इतिहास के प्रोफेसर)